

॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

Email-dfo_badrinath_uta@yahoo.co.in

Phone no- 01372-252175

पत्रांक 1697/12-1 , गोपेश्वर, दिनांक अक्टूबर 25 2016।

सेवा में,

वन संरक्षक,
गढ़वाल वृत्त,
उत्तराखण्ड पौड़ी।

विषय:- ग्वाला से भेरणी मोटर मार्ग वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग का पत्रांक 2848/10 एल0ए0 दिनांक 20.09.2016

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के क्रम में भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण प्रस्तावक विभाग के माध्यम से किया गया जो निम्नानुसार है:-

क्र० सं०	शर्तों का विवरण	अनुपालन आख्या
1.	Plz reply to obj of RO in reply to point no.1 of the EDS dated 28-07-2016 of this office it is mentioned that all the five villages come under Gram Panchayat Bherni, but the proceedings of the meeting of the village level committee under FRA have not been amended which still mention the name of village bherni only. May provide/upload revised proceedings of the the village level committee under FRA mentioning names of all the five villages, signed by representatives from all the villages.	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्राम सभा भेरणी के अन्तर्गत आते हैं। सभी 5 ग्रामों की प्रविष्टि FRA certificate में कर दी गई है तथा Revised FRA certificate को पार्ट-1 के Additional information में अपलोड कर दिया गया है। संलग्नक -1 (पेज 2 से 3 तक)

अतः अनुरोध है कि प्रकरण में अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्न:- प्रस्तावक विभाग के पत्र की छायाप्रति एवं संलग्नक प्रपत्र।

भवदीय,

निर्गमनार्थ प्राधिकृत

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

(एन0एन0पाण्डेय)

प्रभागीय वनाधिकारी,
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग
कर्णप्रयाग

Phone/Fax :- 01363-244204

E-mail :- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 2848/10 एल-एल

दिनांक 20/9/2016

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वनप्रभाग
गोपेश्वर, (चमोली)

विषय :- ग्वाला से भेरणी मोटर मार्ग वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा लगाई गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है :-

क्र.सं.	लगायी गयी आपत्तियाँ	आपत्तियों का निराकरण
1	2	3
1	Plz reply to obj of RO-In reply to point No.-1 of the EDS dated 28.07.2016 of this office it is mentioned that all the five villages come under Gram Panchayat Bherni, but the proceedings of the meeting of the village level committee under FRA have not been amended which still mention the name of village Bherni only. May provide / upload revised proceedings of the village level committee under FRA mentioning names of all the five villages, signed by representatives from all the villages.	उक्त सभी ग्राम एक ही ग्रामसभा भेरणी के अन्तर्गत आते हैं। सभी 5 ग्रामों की प्रविष्टि FRA certificate में कर दी गयी है तथा Revised FRA certificate को पार्ट-1 में अपलोड कर दिया गया है। <u>संलग्नक - 1 पैज 2 से 3</u>

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।
संलग्न :- उपरोक्त।

(जे.पी.रतूड़ी)
20/09/16
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
कर्णप्रयाग

प्रपत्र-23.1

परियोजनाकानाम :- मांझुं घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधान सभा
क्षेत्रों के वि०ख० घाट में गवाला से मेरणी तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम.....मेरणी (पुनखिला, सिमली, पाणीमैर)
तहसील.....चमोली जिला.....चमोली

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद.....चमोली के.....अन्तर्गत.....मांझुं घोषणा के अन्तर्गत
वि०ख० घाट में गवाला से मेरणी तक मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु नदी
.....हे० आरक्षित वनभूमि.....1.28.....हे० सिविल सोयम भूमि.....2.275.....हे० वनपंचायत भूमि
अर्थात् कुल.....4.26.....हे० वनभूमिका.....लो० सि० वि० विभाग/संस्था के पक्ष में भारत
सरकार, पर्यावरण एवं वनमंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्तप्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत.....मेरणी.....द्वारा दिनांक.....4/01/15 को
सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि
के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन
अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा
किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं।* उपस्थित सभी ग्रामवासियों
द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी
का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण
हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा
है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव
पारित किया गया कि ग्राम.....मेरणी.....के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि.....लो० सि० वि०
.....प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति
नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह०/-
ग्रामसचिव

Dr. S. Negi (Phd)
Vill-Dev. Officer
Bleek Ghat (Chamoli)

राकेश रावत
क्षेत्र विकास अधिकारी
सकण्ड वाड वि०ख० घाट

ग्राम पंचायत मेरणी
मांझुं घोषणा
ह०/ख० घाट (चमोली)
ग्रामप्रधान

नोट :-* यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो
तदनुसार उस का विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।

उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता
एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रपत्र-23.1

दिनांक 4/01/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्रामपंचायत मेरणी (पुण्डिया, सिमली, पानीजैर)
गवाला,

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित करिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1-	चन्द्रशेखर/पुरोहित	चन्द्रशेखर
2-	श्री रघुवीर सिंह रावत	रघुवीर
3-	श्री भारत सिंह मेरणी	भारत सिंह
4-	श्री लक्ष्मी लाल	लक्ष्मी लाल
5-	श्री हरीश लाल	हरीश लाल
6-	श्री रामधाम पुरोहित	रामधाम
7-	वसुदेव लाल	वसुदेव
8-	सुरेन्द्र लाल	सुरेन्द्र
9-	श्री पण्डित बाल	पण्डित
10-	श्री विलवर सिंह रावत	विलवर सिंह
11-	श्री नारायण सिंह	नारायण
12-		गहिया लाल
13-	राजेश्वरी देवी	राजेश्वरी देवी
14-	मनीषा रावत	मनीषा
15-	मनीषा देवी	मनीषा देवी
16-	सावनि देवी	सावनि देवी
17-	मिर्जा लाल	मिर्जा लाल


रकेश रावत
क्षेत्र पंचायत सदस्य
सकण्ड 448 14000 घाट

ह0/-
ग्रामप्रधान

